प्रकाशन हेतुक अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खण्डपीठ:- माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 2065/1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गंगाराम एवं अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

एवं

(संबद्ध दाण्डिक अपील क्रमांक 2065/1996)

निर्णय

विचारार्थ हेतुक

हस्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश
मैं सहमत हूँ।

हस्ता/-
मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतुक दिनांक 26/06/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खण्डपीठ:- माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 2065/1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण: 1. गंगाराम, आत्मज फिरातराम धोबी, आयु 22 वर्ष

2. फिरातराम, आत्मज पंचराम धोबी, आयु 57 वर्ष

दोनों निवासी: ग्राम नौरंगपुर, थाना बिलाईगढ़, जिला- रायपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: **मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील)

उपस्थिति:

श्री गुरुदेव आई. शरण, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता

श्री किशोर भादुड़ी, राज्य हेतुक अतिरिक्त महाधिवक्ता

(निर्णय)

(26-06-1996)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा परिदत्त :

1. यह अपील, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाज़ार, जिला रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 273/95 में पारित निर्णय दिनांक 9 अक्टूबर, 1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास के दंड से दंडादिष्ट किया गया है।

2. तथ्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 28.5.95 को लगभग प्रातः 9.50 बजे, हेतराम (अभियोजन साक्षी-1) ने एक रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट – प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई कि दिनांक 27.5.95 को उसका भाई, मृतक तीज़राम, यह कहकर अपनी साइकिल पर घर से निकला था कि वह पुरगाँव जा रहा है। वह रात में वापस नहीं लौटा। दिनांक 28.5.95 को कमलदास मानिकपुरी (अभियोजन साक्षी-2) उसके घर आया और सूचना दी कि तीज़राम, पुरगाँव और नौरंगपुर गाँव के बीच सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर कई ग्रामीणों के साथ एक भैंसा-गाड़ी लेकर घटनास्थल पर गया और तीज़राम को अपने घर ले आया। तीज़राम ने कई ग्रामीणों के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया कि रात में अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। इसके पश्चात तीज़राम अचेत हो गया। जब उसे सरकारी अस्पताल, बिलाईगढ़ ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर

पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/5) दिया और मृतक के शव का शव पंचनामा (इन्क्वेस्ट - प्रदर्श-पी/6) तैयार किया। शव को शव परीक्षण हेतुक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलाईगढ़ भेजा गया। शव परीक्षण परीक्षण डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अभियोजन साक्षी-7) द्वारा किया गया था। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(i) खोपड़ी के दाहिने पार्श्व भाग पर 2.5 **x** 1.5 सेमी की खरोंच के साथ सूजन;

(ii) गर्दन के दाहिने हिस्से पर 1: 1/4 **x** 1 सेमी की सूजन के साथ खरोंच;

(iii) बाईं आँख से 2 इंच नीचे 3: 1/4 **x** 1: 1/4 सेमी की खरोंच के साथ सूजन; **(iv)** ठुड्डी के ठीक नीचे गर्दन के ऊपरी हिस्से पर 5: 1/2 **x** 1: 1/4 सेमी का बड़ा रक्तगुल्म (सूजन) और खरोंच;

(v) चोट क्रमांक **(iv)** के ठीक नीचे गर्दन पर 6: 1/4 **x** 3/4 सेमी की सूजन;

(vi) चोट क्रमांक **(v)** के नीचे गर्दन पर सूजन।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) दाहिने कान के पिन्ना के नीचे दाहिने गाल पर 1.5 **x** 1 सेमी का अपघर्षण;

(viii) दाहिनी अग्रबाहु के निचले हिस्से पर 3.5 **x** 1 सेमी का विदारण युक्त अपघर्षण;

(ix) दाहिनी जांघ के निचले पार्श्व भाग पर 3.5 **x** 1 सेमी और 4.5 **x** 1 सेमी के दो अपघर्षण; तथा

(x) पीठ के मध्य भाग पर 3.5 से 3 सेमी और 1 से 2 सेमी के बीच के आकार के 4 अपघर्षण।

आंतरिक परीक्षण पर, यह पाया गया कि चोट क्रमांक **(iv)** और **(v)** के अनुरूप श्वासनली पर अस्थिभंग थे, वास्तव में, श्वासनली उन स्थानों पर टूटी हुई थी और वह रक्त से भरी हुई थी। दाहिनी ओर की 7वीं और 8वीं पसलियों पर

अस्थिभंग थे। शव-परीक्षा शल्य चिकित्सक ने यह अभिमत दिया कि सभी चोटें किसी कठोर धात्विक वस्तु से कारित हो सकती थीं और वे मृत्यु-पूर्व चोटें थीं। मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण सदमा और श्वासावरोध था और यह प्रकृति में मानववध था। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/9 है।

3. अभियोजन का मामला मृतक द्वारा हेतराम (अ.सा.-1), कमलदास (अ.सा.-2), मेहत्तर (अ.सा.-3), रामस्वरूप (अ.सा.-4), नारायणप्रसाद (अ.सा.-5), लक्ष्मण (अ.सा.-6) और सुनाराम (अ.सा.-8) के समक्ष कथित तौर पर किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन पर आधारित था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षियों के परिसाक्ष्यों पर भरोसा किया और यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक ने इन साक्षियों के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था, इसलिए, अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंड के भागी थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुदेव आई. शरण ने तर्क दिया कि रात में मृतक की श्वासनली पर आई चोटों को देखते हुए, यह संभव नहीं था कि मृतक मौखिक मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में रहा होगा। इसलिए, मौखिक मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है, और केवल मौखिक मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) के साक्ष्य का संदर्भ दिया।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. अभियोजन के अनुसार, घटना 27.5.1995 की रात के समय हुई थी। हेतराम (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि 28.5.95 को कमलदास (अ.सा. - 2) उसके घर आया और बताया कि उसका भाई (मृतक) जोंकनाला के पास पड़ा हुआ है। वह उससे (कमलदास से) पानी मांग रहा था। इस सूचना पर, हेतराम (अ.सा.-1) उस स्थान पर गया और अपने भाई को घायल अवस्था में देखा। वे मृतक को लाने के लिए एक भैंसा-गाड़ी ले गए थे। उसके अनुसार, मृतक ने घटनास्थल पर ही मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था और जब उसे घर लाया गया, वहाँ भी उसने मौखिक मृत्युकालिक ग्रामीणों, अर्थात्- कमलदास (अ.सा.-2), मेहत्तर (अ.सा.-3), रामस्वरूप (अ.सा.-4), नारायणप्रसाद (अ.सा.-5), लक्ष्मण (अ.सा.-6) और सुनाराम (अ.सा.-8) के समक्ष मृत्युकालिक कथन किया था। इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था और अपीलार्थीगण का नाम अपने हमलावरों के रूप में लिया था। सत्र न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि मृतक की श्वासनली पर आई चोटों और श्वासनली के रक्त से पूरी तरह भरे होने को देखते हुए, उसके लिए बहुत लंबे समय तक सचेत रहना और मृत्युकालिक कथन देना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसी चोटें लगने वाला व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं होता है। डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) ने स्वीकार किया है कि ऐसी चोटें लगने के बाद व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं हो सकता है। डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) ने प्रति-परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि श्वासनली में अस्थिभंग होने और उसमें रक्त भर जाने के कारण, श्वासावरोध से व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है, लेकिन यदि फेफड़ों को हवा मिलती रहे, तो उसके बाद भी वह जीवित रह सकता है। वर्तमान मामले में मृत्यु का कारण श्वासनली में अस्थिभंग और रक्त के जमाव के कारण उत्पन्न श्वासावरोध था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के पैरा-30 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर, उन साक्षियों के वृत्तांत को, जिनके समक्ष मृत्युकालिक कथन किया गया था, खारिज नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत किए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री गुरुदेव आई. शरण ने यहाँ भी समान तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) की प्रति-परीक्षा का संदर्भ दिया है।

9. डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) ने स्पष्ट शब्दों में साक्ष्य दिया कि चोट क्रमांक (**iv**) और (**v**) के स्थान पर श्वासनली पर 2 अस्थिभंग थे। वास्तव में श्वासनली उपरोक्त दो स्थानों पर टूटी हुई थी और वह रक्त से भरी हुई थी। उन्होंने प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया कि मृतक को उपरोक्त चोटें उसके शव परीक्षण परीक्षण, जो उन्होंने 28.5.95 को प्रातः लगभग 11.00 बजे किया था, से 8:00 घंटे पूर्व कारित की गई होंगी। उन्होंने प्रति-परीक्षा में आगे यह स्वीकार किया कि श्वासनली के फटने के कारण व्यक्ति कुछ समय तक जीवित रह सकता है और वह उस समय बोल सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होगी और उस आवाज़ को समझना, अर्थात वह क्या बोलना चाहता है, यह समझना कठिन होगा। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि श्वासनली के फटने के कारण मुँह से पूरी आवाज़ नहीं निकलती है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि यदि श्वासनली फटने के कारण वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो मृत्यु तात्कालिक हो सकती है।उन्होंने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में, मृत्यु का मुख्य कारण श्वासनली का फटना और श्वासनली के मार्ग में रक्त का संचय था। उन्होंने सुस्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि यदि श्वासनली फट जाती है और रक्त जमा हो जाता है, तो मृत्यु होना संभव है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि श्वासनली में जमा हुआ रक्त भी 8:00 घंटे की अवधि का था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई है। श्वासनली रक्त से पूरी तरह भरी हुई पाई गई थी। इससे यह दर्शित होता है कि श्वासनली में अस्थिभंग और दो स्थानों पर इसके फटने के कारण रक्तस्राव हुआ होगा, जिसके परिणामस्वरूप श्वासनली में रक्त का संचय हो गया, जिससे फेफड़ों तक जाने वाला वायु मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और अंततः श्वासावरोध से मृत्यु हुई। स्वीकारोक्ति के अनुसार, घटना रात में

किसी समय हुई थी, अर्थात् दिनांक 27.5.95 की शाम 6.00 बजे से 28.5.95 की सुबह 7-8.00 बजे के बीच (जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट – प्रदर्श-पी/1 में उल्लेखित है)। चिकित्सक ने यह अभिमत दिया है कि चोटें शव परीक्षण परीक्षण से 8:00 घंटे पूर्व कारित की गई होंगी। अतः, डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) के उपरोक्त साक्ष्य के साथ-साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/9) की अंतर्वस्तु और मृतक की श्वासनली पर आई चोटों को देखते हुए, यह प्रतीत नहीं होता है कि 28.5.95 की सुबह लगभग 8-9.00 बजे मृतक जीवित था या कम से कम वह सचेत था और ग्रामीणों के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में था।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त, हम **लक्ष्मण (अ.सा.-6)** और **सुनाराम (अ.सा. -8)** के साक्ष्य से भी यह संकलित करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा के पैरा 5 और 4 में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सुबह सुना था कि मृतक नाले के पास मृत पड़ा था, जो कि स्वीकारोक्ति के अनुसार उसके घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हमारा यह मत है कि मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/9) और डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.-7) के उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में, उपरोक्त साक्षियों के समक्ष मृतक द्वारा कथित रूप से किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन की एकमात्र परिस्थिति पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। मृतक को रात में किसी समय उपरोक्त चोटें आईं थीं। वह पूरी रात घटनास्थल पर रहा और सुबह लगभग 8-9.00 बजे, उसने ग्रामीणों के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया, जिसका साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

13. श्री गुरुदेव आई. शरण ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया 'हेतुक' अपर्याप्त था और प्रमाणित नहीं हुआ था।

14. अपीलार्थीगण पिता और पुत्र हैं। हेतराम (अ.सा. -1) के अनुसार, घटना से दो वर्ष पूर्व, मृतक तीज़राम की पुत्री के विवाह के अवसर पर, अपीलार्थीगण को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। अपीलार्थीगण और उनके परिवार के सदस्यों ने रात्रि भोज

करने से इनकार कर दिया और कुछ विवाद उत्पन्न किया। तब से वे मृतक के साथ सदैव झगड़ा किया करते थे। वे मृतक के पड़ोसी थे और उनके बीच संबंध शत्रुतापूर्ण थे, और इसी कारण उन्होंने मृतक की हत्या कारित की थी।

15. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 7 एससीसी 759**, के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार-विमर्श करते हुए, पैरा-19 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "हालाँकि, उन मामलों में जो पूर्णतः या मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित और निर्भर होते हैं, वहाँ 'हेतुक' की अधिक प्रासंगिकता या महत्ता हो सकती है **{बाबू लोधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1987) 2 एससीसी 352** और **प्रेम कुमार बनाम बिहार राज्य, (1995) 3 एससीसी 228}।** लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य स्पष्ट हो, तो हेतुक का विशेष महत्व नहीं रह जाता है। मात्र हेतुक का अभाव, भले ही उसे मान लिया जाए, स्वतः अभियुक्त को दोषमुक्ति का हकदार नहीं बना देगा, यदि अन्यथा, अपराध का कारित होना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध होता है **{पंजाब राज्य बनाम कुलजीत सिंह, (2003) 2 आरसीआर (क्रिमिनल) 629 (पी एण्ड एच)**।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अतः हेतुक की प्रासंगिकता का महत्व मुख्य रूप से किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वह भी केवल मौखिक मृत्युकालिक कथन की परिस्थिति पर। इस प्रकार 'हेतुक' का महत्व बढ़ जाता है। यह मानना काफी अनुचित प्रतीत होता है कि घटना की तारीख से 2 वर्ष पूर्व मृतक की पुत्री के विवाह में रात्रि भोज न करने के कारण, अपीलार्थीगण मृतक के विरुद्ध द्वेष रखेंगे और इतने लंबे समय के बाद मृतक

की हत्या कारित करेंगे। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त हेतुक, हत्या जैसे जघन्य अपराध को कारित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि उपरोक्त 'हेतुक', जिसका उल्लेख हेतराम (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) में है, स्वयं हेतराम (अ.सा. -1) के साक्ष्य द्वारा भी बिल्कुल स्थापित नहीं हुआ है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) में उल्लेखित उक्त 'हेतुक' के बारे में एक शब्द भी साक्ष्य में नहीं दिया है। अन्य साक्षियों ने भी मृतक की हत्या करने के कारण के रूप में अपीलार्थीगण के उक्त हेतुक का उल्लेख नहीं किया है।

17. पूर्वोक्त कारणों से, हम मौखिक मृत्युकालिक कथन के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

18. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

मुख्य न्यायाधीश

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

-अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतुक किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतुक प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतुक **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतुक उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur